मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारां कत प्रश्न सं. **3642**
10.08.2026 को उत्तर के लए

राष्ट्रीय चंबल घ ड़याल अभयारण्य का संरक्षण

3642. श्री भजन लाल जाटव :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) राष्ट्रीय चंबल घ ड़याल अभयारण्य में पारिस्थितिकी-पर्यटन के संरक्षण और वकास हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) ऐसी योजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) वगत पांच वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन के लए कतनी नि ध स्वीकृत और उपयोग की गई है; और
(घ) क्या सरकार द्वारा करौली-धौलपुर क्षेत्र में पारिस्थितिकी-पर्यटन को बढ़ावा देने के लए कोई अतिरिक्त परियोजनाएं प्रस्ता वत की गई हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन संह)

(क) भारत सरकार, इस मंत्रालय के माध्यम से, वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत वकास नामक केंद्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित करती है, जिसमें बाघ तथा हाथी परियोजना एवं राष्ट्रीय चंबल घ ड़याल अभयारण्य सहित संर क्षत क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लए वन्यजीव पर्यावासों का वकास भी शा मल है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा तैयार सां व धक प्रबंधन योजना के माध्यम से वर्ष 2021 में इस मंत्रालय द्वारा जारी संधारणीय पर्यटन दिशानिर्देशों के अनुसार पारि-पर्यटन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सु वधाजनक बनाया जाता है।

(ग) योजनाओं के उक्त घटकों के अंतर्गत स्वीकृत नि धयों का ववरण अनुलग्नक 1 और 2 के रूप में संलग्न है।

(घ) धौलपुर-करौली बाघ रिजर्व में पारि-पर्यटन का वनियमन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्रा धकरण (पर्यटन गति व धयों के लए आदर्श मूलक मानक और व्याघ्र परियोजना) मार्गदर्शी सद्धांत, 2012 के अनुसार कया जाता है। यह वन्यजीव (संरक्षण) अ धनियम, 1972 के तहत तैयार वैधानिक बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से संचा लत कया जाता है, जिसमें पारि-पर्यटन और आगंतुक प्रबंधन से संबं धत प्रावधान शा मल हैं।

अनुलग्नक-1

"राष्ट्रीय चंबल घ ड़याल अभयारण्य का संरक्षण" के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लए पूछे जाने वाले लोक सभा अतारां कत प्रश्न संख्या **3642** के उत्तर के भाग (ग) में उल्लि खत अनुलग्नक

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान बाघ और हाथी परियोजना की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत राज्यों को जारी की गई नि ध का ववरण

रा श लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24*	2024-25	2025-26
		पीटी	पीई	पीटी	पीई	पीटी व पीई	पीटी व पीई	पीटी व पीई
1	आंध्र प्रदेश	292.11	20.5565	0	0	149.421	365.13	210.4
2	अरुणाचल प्रदेश	869.08	157.7615	787.19	65.81025	1119.9145	1767.99	1181.35
3	असम	1476.75	126.716	2559.78	167.4	2619.30784	3030.84438	2279.78
4	छत्तीसगढ	355.85	24.785	165.75	0	292.855	307.98951	249.78
5	झारखंड	195.06	86.682	222.75	78.05	405.785	727.556	0
6	कर्नाटक	2956.7	261.195	1716.92	97.8453	2613.0834	2801.267	1963.24
7	केरल	868.78	580.96765	417.59	270.09	996.22425	221.36725	640.86
8	महाराष्ट्र	2991.06	0	809.62	28.524	2614.45167	4176.7048	2332.29
9	मेघालय	0	141.75	0	32.14	65.25	59.4	61.11
10	नागालैंड	0	279.759	0	235.575	337.77	305.442	319.46
11	ओ डशा	1056.86	567.045	946.82	212.7695	1012.58764	919.57923	681.46
12	त मलनाडु	1576.22	181.8464	501.35	85.9405	2547.96648	2184.88357	1355.46
13	त्रिपुरा	0	0	0	7.36516	27.0855	14.68868	0
14	उत्तर प्रदेश	1304.85	45.993	919.96	9.858	1031.9767	2075.10675	263.88
15	उत्तराखंड	1463.71	244.12375	741.13	18.7415	1495.5241	1823.2319	681.26
16	पश्चिम बंगाल	708.28	87.8717	458.77	30.05	522.58101	425.94994	298.62
17	हरियाणा	0	4.2345	0	17.4	26.1	31.2	1.76
18	बिहार	552.72	0	246.90	0	308.9825	543.09678	275.69
19	राजस्थान	841.05	15.18	529.78	6.18609	968.3004	579.47723	591.78
20	मध्य प्रदेश	3523.52	12.613	3956.88	11.388	4303.794	5910.501	1939.82
21	म णपुर	0	5.4	0	0	14.121	29.25	7.81
22	मजोरम	374.13	0	78.75	0	144	367.08969	250.63
23	तेलंगाना	543.26	0	0	0	323.308	291.682	262.73
24	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	19.61	40.572	2.75
	कुल	**21949.99**	**2844.48**		**1375.1333**	**23959.99999**	**29000**	**15851.92**

* केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट एलीफेंट (पीई) और केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर (पीटी) का वलय कर दिया गया है और अब इसे केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलीफेंट के नाम से जाना जाता है।

अनुलग्नक-**2**

"राष्ट्रीय चंबल घ ड़याल अभयारण्य का संरक्षण**"** के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लए पूछे जाने वाले लोक सभा अतारां कत प्रश्न संख्या **3642** के उत्तर के भाग **(**ग**)** में उल्लि खत अनुलग्नक

वर्ष **2021-22** से **2025-26** के दौरान केंद्र् प्रायोजित योजना**-** 'वन्यजीव पर्यावासों का वकास' के तहत राज्यों और संघ राजयक्षेत्रों को जारी की गई नि ध का ववरण।

(रु. लाख में**)**

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों प्रदेशों के नाम	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	135.8	25.1	0.0	0.0	0.0
2	आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	अरुणाचल प्रदेश	419.8	276.4	672.5	1044.8	1456.3
4	असम	0.0	209.1	565.1	1234.5	792.0
5	बिहार	402.2	0.0	336.4	0.0	66.7
6	चंडीगढ़	0.0	21.6	16.5	0.0	0.0
7	छत्तीसगढ	274.6	104.5	116.2	135.6	16.8
8	गोवा	0.0	0.0	50.1	66.4	0.0
9	गुजरात	0.0	200.0	207.0	801.6	371.5
10	हरियाणा	127.3	30.2	167.9	233.0	205.3
11	हिमाचल प्रदेश	197.1	114.3	94.2	172.3	80.1
12	जम्मू एवं कश्मीर	0.0	0.0	69.6	74.0	53.2
13	झारखंड	79.5	0.0	14.9	71.9	4.8
14	कर्नाटक	1256.6	291.7	581.5	800.8	380.7
15	केरल	295.8	224.5	921.0	909.6	597.2
16	मध्य प्रदेश	389.3	265.6	471.8	740.9	307.5
17	महाराष्ट्र	0.0	350.4	554.7	622.1	497.8
18	म णपुर	142.5	180.6	231.7	261.7	0.0
19	मेघालय	530.5	0.0	243.6	389.6	35.5
20	मजोरम	199.0	190.2	304.2	344.3	532.4
21	नागालैंड	342.0	725.7	1306.3	1490.0	998.9
22	ओ डशा	726.8	967.5	1005.1	1108.5	785.4
23	राजस्थान	1007.6	86.8	0.0	0.0	417.6

24	सक्किम	183.0	239.7	187.0	221.2	251.0
25	त मलनाडु	390.8	133.0	373.9	661.8	241.7
26	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.0	39.6
27	उत्तर प्रदेश	169.1	266.7	290.6	393.9	389.5
28	उत्तराखंड	226.3	213.0	498.5	652.5	285.4
29	पश्चिम बंगाल	757.3	201.3	385.3	183.1	436.4
30	पुदुचेरी	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0
31	लक्षद्वीप	462.1	269.9	124.7	217.2	260.8
32	त्रिपुरा	0.0	0.0	186.1	339.5	15.4
33	लद्दाख	32.0	61.1	6.0	0.0	0.0
	कुल	**8746.9**	**5648.8**	**9987.6**	**13170.7**	**9519.6**

* ऐसे कतिपय मामलों में नि ध जारी नहीं की गई थी, जिनमें या तो कोई व्यय सू चत नहीं कया गया था, राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे, अथवा प्राप्त प्रस्तावों में मौजूदा अपेक्षाओं की तुलना में कमी थी।
